सप्तदश माला, खंड 28, अंक 9

गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023
23 अग्रहायण, 1945 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 28 में अंक 1 से 14 तक है)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

ब्रजेश कुमार
संयुक्त निदेशक

सुबोध कुमार
उप निदेशक

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्कारण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर ऐप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि , हिन्दी संसकरण में सम्मिलित मूल कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी ।इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिये गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 28, चौदहवां सत्र, 2023 / 1945 (शक)
अंक 9, गुरुवार, 14 दिसम्बर, 2023 / 23 अग्रहायण, 1945 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
सदस्यों द्वारा त्याग पत्र	5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 161 और 162	6-7,10-14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**15**
तारांकित प्रश्न संख्या 163 से 180	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070	

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी
संसद में सुरक्षा व्यवस्था 8-9

नियम 374 के अधीन सदस्यों का सभा की सेवा से निलंबन के बारे में प्रस्ताव 19-21

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 14 दिसंबर, 2023 / 23 अग्रहायण, 1945 (शक)

लोक सभा अपराह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

(हिंदी)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठिए।

…(व्यवधान)

<u>अपराह्न 11.0½ बजे</u>

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि निम्नलिखित निर्वाचित सदस्यों ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है - तेलंगाना के मेडक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी और तेलंगाना के नलगोन्डा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित श्री उत्तम कुमार रेड्डी। मैंने 13 दिसम्बर, 2023 से उनके त्यागपत्रों को स्वीकार कर लिया है।

____

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 161.

…(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

***प्रश्नों के मौखिक उत्तर**

(प्रश्न संख्या 161)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बालाशौरी जी।

…(व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री बालशौरी वल्लभनेनी: महोदय, पूरी दुनिया निवल शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ रही है और हरित ऊर्जा पहलों को अपना रही है। … (*व्यवधान*) हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सीओपी 26 शिखर सम्मेलन में एक वक्तव्य दिया और वर्ष 2070 तक भारत के लिए शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा … (*व्यवधान*)

---

* **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

हमारा वर्ष 2030 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा को 500 गीगावाट तक करने का लक्ष्य है, लेकिन हम इस लक्ष्य से अभी बहुत दूर हैं। (*व्यवधान*) भारत के शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और इन सबके मुकाबले दिल्ली की स्थिति सबसे खराब है। (*व्यवधान*) हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं... (*व्यवधान*) प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हरित ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है... (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री हिबी ईडन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

मेरा प्रश्न यह है कि राज्यों को अनुत्पादक भूमि आवंटन के लिए दिशा-निर्देश बनाने के अलावा, क्या केन्द्रीय सरकार ने स्वयं की ही बंजर भूमि को आवंटित करने की पहल की है? … (*व्यवधान*) उदाहरण के लिए, रेलवे, रक्षा और अन्य सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के पास विशाल भूमि बैंक है जिसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। (*व्यवधान*) क्या सरकार इस भूमि का उपयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा , पवन ऊर्जा और पंप भंडारण परियोजनाओं के उद्देश्य से इसे आवंटित करने का विचार करेगी? … (*व्यवधान*)

श्री आर. के. सिंह:माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो कहा है उसके विपरीत, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। … (*व्यवधान*) आज गैर-जीवाश्म ईंधन की हमारी स्थापित क्षमता 1,86,000 मेगावाट है। … (*व्यवधान*) लगभग 1,14,000-मेगावाट की अन्य क्षमता निर्माणाधीन है... (*व्यवधान*) इसके अलावा, लगभग 55,000 मेगावाट बोली लगाने की प्रक्रिया के अधीन है। (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

<u>अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी</u>

संसद में सुरक्षा व्यवस्था

(हिंदी)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जो कल घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम सब जानते हैं कि पूरे संसद सचिवालय का क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोक सभा के अंदर आता है। इसलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है। फिर हम चर्चा करेंगे और आप सब लोगों को बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोक सभा सचिवालय का है। इसलिए लोक सभा सचिवालय फिर आपसे चर्चा करेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत तरीका है। आप जाकर सीट्स पर बैठिये।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सरकार कभी भी लोक सभा सचिवालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम करने भी नहीं देंगे। यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 162 – श्री मलूक नागर जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत परंपरा है। आप गलत परिपाटी मत डालिये।

… (व्यवधान)

श्री मलूक नागर : अध्यक्ष जी, जो कल घटना हुई है… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन सब घटनाओं पर भी चर्चा करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। इसके लिए भी हम और आप बैठकर चर्चा करेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह हमारा क्षेत्राधिकार है। सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी लोक सभा अध्यक्ष के नाते मेरी है। इसलिए मैं आपके साथ बैठ कर सारी चर्चा करूंगा।

… (व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, कल की जो घटना संसद में घटित हुई है, सब ने उसको कंडेम किया है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें कहीं दो मत नहीं है।… (व्यवधान) आपने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का आदेश दे दिया है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद, चाहे वे पक्ष के हों अथवा विपक्ष के हों, सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है।… (व्यवधान) हम जिनको भी पास देते हैं, ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए, जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे, यह हम सभी को, केवल सत्ता पक्ष ही नहीं, बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है।… (व्यवधान) आपने तुरंत संज्ञान लेकर इस मामले की जांच का आदेश दिया है और अन्य भी जो प्रिकॉशंस भविष्य में लिए जा सकते हैं, वे लिए जाएंगे। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में यह भी लाना चाहता हूं कि हमारा जो पुराना संसद भवन है, उसमें भी इस प्रकार से बराबर नारेबाजी की घटनाएं, पेपर फेंकना, तरह-तरह की जंपिंग की घटनाएं पहले हो चुकी हैं।… (व्यवधान) मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडेम करना चाहिए।… (व्यवधान) आपने जो जांच रिपोर्ट दी है और साथ ही भविष्य में क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, इसका भी आपने निर्देश दिया है।… (व्यवधान) मैं समझता हूं कि इस प्रकार से इस संसद के अंदर आराजक स्थिति पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

… (व्यवधान)

<u>**पूर्वाह्न 11.05 बजे**</u>

प्रश्नों के मौखिक उत्तर- जारी।

(प्रश्न संख्या 162)

श्री मलूक नागर : सर, कल जो घटना घटी है, वह सुरक्षा से संबंधित है और उसमें बदलाव की जरूरत है।… (व्यवधान) जो लोग इस समय भी राजनीति कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि वे देश के लिए काम करें।… (व्यवधान)

सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि गंगा जी हरिद्वार में जहां से निकलती है और आखिर तक जाने में, जो पॉल्यूशन से संबंधित है, क्या हर कस्बे और हर शहर के एसटीपी प्लांट के द्वारा पानी को निकालने के बाद ही गंगा जी में डाला जाता है? क्या इसके आंकड़े और रिकॉर्ड उनके पास है?… (व्यवधान) मैं यह जानना चाहता हूं।… (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न किया है कि हरिद्वार से गंगा जी प्रारंभ होती है, मुझे लगता है कि थोड़ा उनको ठीक से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। गंगा जी देवप्रयाग से तीनों धाराओं के मिलने के बाद में प्रारंभ होती है। गंगा जी के शुद्धिकरण के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में अविरल और निर्मल धारा बनी रहे, इस दृष्टिकोण से जो इंटीग्रेटेड एफर्ट्स पिछले 10 साल में लिए गए, उसके कारण से व्यापक सुधार गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता में आया है। 148 से भी ज्यादा स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर, मुख्य धारा में सीधे जो अशुद्ध पानी छोड़ा जाता था, उसको शुद्ध करके उस पानी को नदी में छोड़ना या अन्य उपयोग में लाने की व्यवस्था और विधान किया गया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल को यूनाइटेड नेशंस ने डिकेड ऑफ रेस्टोरेशन मानते हुए पूरे विश्व भर से एंट्रीज को इंवाइट किया था।… (व्यवधान) उन एंट्रीज के आधार पर, जिस तरह से

पिछले दस साल में दुनिया भर की जो एंट्रीज आईं, उनके आधार पर, यूनाइटेड नेशंस ने जो समीक्षा की है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाले 'मिशन गंगा' को दुनिया के टॉप 10 रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है।… (व्यवधान) एक-एक बूंद पानी, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में आता है, नदी के पानी का जो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, नदी के पानी को जिस तरह का होने की अपेक्षा है, उस तरह का बना करके ही नदी में छोड़ा जाए। इसको सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर काम कर रहे हैं।… (व्यवधान)

श्री मलूक नागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह बात हमें पता है कि गंगाजी कहाँ से निकली हैं।… (व्यवधान) लेकिन एसटीपी प्लांट को आपने कौन-से पहाड़ पर जाकर लगवाया है, मुझ पर आरोप लगाने से पहले मंत्री जी इसका जवाब दे दें।… (व्यवधान)

दूसरी बात, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि गंगा में बाढ़ न आए, इसलिए हरिद्वार से आगे बाणगंगा नदी है, जो शुक्रताल से होकर यूपी के अन्दर जाती है और बाण नदी है, जो बिजनौर से अमरोहा की तरफ निकलती है, जिनमें मिट्टी भर गई है।… (व्यवधान) इसके बारे में मैंने आपको पत्र भी लिखा है, उस मिट्टी को निकालकर गंगा के दोनों तटों पर लगाया जाए। जहाँ पर लोगों को सूखे का सामना करना पड़ता है, उनको पानी मिल जाएगा और गंगा के दोनों ओर, तटों पर बसे लोग, जो बाढ़ में बह जाते हैं, उन लोगों को बाढ़ से छुटकारा मिल जाएगा।… (व्यवधान)

मंत्री जी मैंने आपको चिट्ठियाँ लिखी हैं, उनके जवाब भी आए हैं, कृपया करके इसे विस्तार से बताने की मेहरबानी करें।… (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है और न ही यह प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से इस विभाग से संबद्ध है।… (व्यवधान)

नदियों में से गाद निकालने का काम और तटों के तटबंधों के सुदृढ़िकरण का काम प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का विषय है।… (व्यवधान) उत्तर प्रदेश सरकार से इस तरह का कोई भी प्रपोजल भारत सरकार में विचाराधीन नहीं है।… (व्यवधान)

श्री संजय सेठ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी जिस संकल्प के साथ देश के हर नागरिक के लिए 'नल से जल' योजना लाये हैं, किन्तु दुख इस बात का है कि झारखण्ड के अन्दर 'इंडी' की सरकार को मोदी सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए दिए, किन्तु उस राशि में से अभी तक केवल 33 प्रतिशत राशि ही खर्च हो पाई है।… (व्यवधान) वहाँ पर ठेकेदार सौ-दो सौ फीट बोरिंग करके चले जाते हैं, उसकी कोई जाँच नहीं हो रही है। वहाँ की सरकार मोदी जी के संकल्प को फेल करने की योजना बना रही है।… (व्यवधान) मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर उसकी पूरी जाँच कराई जाए। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो घोटाला हो रहा है, क्या उसकी जाँच कराने की कोई योजना है? … (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसका मूल प्रश्न से कहीं कोई संबंध नहीं है।… (व्यवधान) लेकिन यह तय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंच सके एवं माताओं और बहनों को पीने का पानी को ढ़ोकर लाने से मुक्ति मिले, इस संकल्प के साथ जो योजना प्रारंभ की गई थी, उसके व्यापक परिणाम आज दिखाई देने लगे हैं।… (व्यवधान) इस योजना के पिछले चार साल के कालखण्ड में, जहाँ केवल 16 प्रतिशत घरों तक ही पीने का पानी पहुंचता था, वहाँ आज देश में 72 प्रतिशत घरों तक पीने का पानी पहुंचना संभव हुआ है।… (व्यवधान) इस तरह से, देश में लगभग 11 करोड़ माताओं-बहनों को पीने का पानी ढ़ोकर लाने के अभिशाप से मुक्ति मिली है। बहुत-से राज्यों ने 100 प्रतिशत वॉटर कनेक्शन प्रोवाइड कराने में सफलता प्राप्त की है, लेकिन कुछ राज्यों में निश्चित रूप से अभी काम की गति को और बढ़ाने की आवश्यकता है, इस तरह की शिकायत का उल्लेख माननीय सदस्य ने भी किया है। इसके अतिरिक्त, जिन राज्यों से इस तरह की शिकायतें आती हैं, उन सारी शिकायतों पर हम तुरंत कार्रवाई करते हैं।… (व्यवधान) झारखण्ड राज्य में, हमने अब तक कुल मिलाकर जो पैसे सैंक्शन किए हैं, उसके अनुरूप जिस तरह से खर्च होना चाहिए और जितनी प्रगति उस काम में होनी चाहिए, उतनी प्रगति नहीं हो पाई है।… (व्यवधान)

हम निरंतर राज्य सरकार से सतत संपर्क करके उस गति को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। … (व्यवधान) अगर कोई इस तरह की स्पेसिफिक कंप्लेंट माननीय सदस्य के पास है और माननीय सदस्य अगर उससे मुझे अवगत कराएंगे, तो व्यवस्थाओं के अधीन जिस तरह का हमारे पास स्कोप है, उससे निश्चित ही हम उस विषय पर जांच कराने की कार्यवाही करेंगे। … (व्यवधान)

श्री संगम लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, नदियों की स्वच्छता पर ऐतिहासिक कार्य होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र से होकर बहने वाली सई नदी, जिसे 'नमामि गंगे' में शामिल किया गया है, कि सफाई हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं? … (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जब 'मिशन गंगा' प्रारंभ किया गया था, उसमें माननीय प्रधान मंत्री जी की संकल्पना, गंगा की सफाई के समय ही पूरी स्पष्ट अवधारणा थी कि गंगा नदी बेसिन में बहने वाली सभी नदियों, गंगा जी की सारी ट्रिब्यूट्रीज, चाहे वह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर की सारी ट्रिब्यूट्रीज हों, उन पर हम एक साथ काम करेंगे। … (व्यवधान) मुझे प्रसन्नता है कि गंगा नदी की मुख्य धारा पर सफलता के साथ क्रियान्वयन करने के बाद अब हमने सहायक नदियों पर भी काम प्रारंभ किया है। … (व्यवधान) जिन सहायक नदियों में ज्यादा पॉल्युटिड स्ट्रेचेज़ हैं, जैसे हमने हिंडन में और काली इत्यादि इन सब नदियों में ऑलरेडी काम प्रारंभ कर दिया है। … (व्यवधान) माननीय सदस्य ने सई नदी के बारे में बात की है। … (व्यवधान) हम इस विषय को भी संज्ञान में लेकर, जो भी उचित कार्यवाही होगी, राज्य सरकार के साथ चर्चा करके, रिपोर्ट मंगवाकर उस दिशा में भी काम करेंगे। … (व्यवधान) मैं सदन को इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि गंगा जी की शुद्धिकरण का यह कार्यक्रम है, यह गंगा नदी के पूरे बेसिन से जुड़ा हुआ है। … (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जब मैं गंगा नदी के बेसिन की बात करता हूं, तो देश की 40 प्रतिशत आबादी और लगभग 40 प्रतिशत भू-भाग पर गंगा बेसिन काम करता है। … (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) : स्पीकर सर, जो बाहर से आते हैं, उनमें और इनमें क्या अंतर रह गया है? … (व्यवधान) इन सबका यह व्यवहार उचित नहीं है। … (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अब जिस तरह से हमने छोटी-छोटी सहायक नदियों पर काम करना प्रारंभ किया है, इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन जी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी और श्री हैबी ईडन जी से मैं फिर आग्रह करता हूं कि आप सदन में अराजकता न फैलाएं।

… (व्यवधान)

____

[1]प्रश्नों के लिखित उत्तर
(तारांकित प्रश्न संख्या 163 से 180
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री भर्तृहरि महताब *पीठासीन हुए*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, हमारी एक माँग है।… (व्यवधान)

(अनुवाद)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, कुछ सदस्यों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव की कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना को अनुमति नहीं दी है।*... (व्यवधान)*

<u>अपराह्न 2.02 बजे</u>

इसी समय श्री हनुमान बेनीवाल सभा पटल के पास आकर खड़े हो गये।

....(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : महोदय, हम सभी खिन्न हैं और इस बात से सहमत हैं कि कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वह माननीय संसद सदस्यों की सुरक्षा से संबंधित एक गंभीर घटना थी। *... (व्यवधान)* हमें इसकी सराहना करनी होगी कि माननीय अध्यक्ष ने तुरंत सभी नेताओं के साथ बैठक की और संसद परिसर में सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उनके सुझाव सुने। *....(व्यवधान)* उनके दिए गए कुछ सुझावों को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। *....(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष ने आज सुबह यह भी कहा कि संसद की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भविष्य में और भी कदम उठाए जाएंगे। *....(व्यवधान)* मेरी राय में, यह मामला हम सभी से जुड़ा है और ऐसे गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर हमें एक स्वर में बोलना होगा। *...(व्यवधान)* ऐसे मुद्दों पर किसी को भी राजनीति करने की अनुमति नहीं है। *....(व्यवधान)* हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें काम करना है। *.... (व्यवधान)*

<u>अपराह्न 2.04 बजे</u>

इस समय श्री बैन्नी बेहनन, श्री कल्याण बनर्जी, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं *...(व्यवधान)* मैं पिछली घटनाओं की तुलना नहीं कर रहा हूँ और न ही आज की घटना का बचाव कर रहा हूँ। *...(व्यवधान)* लेकिन उज्ज्वल भविष्य के लिए हमें अपने अतीत से सबक लेना होगा। … (*व्यवधान*) 11 अप्रैल, 1974 को - मैं पिछली घटनाओं की तारीखें उद्धृत कर रहा हूं - श्री रतन चंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा से कूदकर नारे लगाए थे। उसके हाथ में दो पिस्तौल, बम जैसी दिखने वाली चीज तथा साथ ही कुछ पर्चे भी थे। *... (व्यवधान)* 26 जुलाई, 1974 को, श्री बिपलब बसु को दर्शक दीर्घा में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए अपने पीछे एक छुरा छिपाकर ले जाते हुए पकड़ा गया था। *... (व्यवधान)* 26नवम्बर, 1974 को सरदार सुरेंद्र सिंह के बेटे श्री सतेंद्रजीत सिंह अपने साथ कुछ विस्फोटक और खंजर छिपाकर दर्शक दीर्घा में ले आए थे । *... (व्यवधान)* 9 और 10 जनवरी, 1999 को, लगातार दो दिन श्री बद्रीप्रसाद और श्री पुष्पेन्द्र चौहान दर्शक दीर्घा से कूदकर लोक सभा चैम्बर में घुस आये थे।*... (व्यवधान)*

महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये घटनाएं हो रही हैं। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं शुरू से होती आ रही हैं - नारे लगाना, कागजात/पर्चे फेंकना और यहां तक कि सदन की दीर्घाओं से कूदना। … (*व्यवधान*) मेरे पास ऐसी कई घटनाएं हैं। हम सभी इस बात को समझते हैं कि संसद के सदन, अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए अपने विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों की रक्षा के लिए स्वतंत्र हैं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष संसद भवन परिसर के संरक्षक हैं और संसद भवन की आंतरिक सुरक्षा माननीय अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अतीत में ऐसे मामलों का समाधान सदैव माननीय अध्यक्ष के निदेशों और मार्गदर्शन के अनुसार किया गया है। … (*व्यवधान*) इस तरह की घटना से मोटे तौर पर दो तरीकों से निपटा जा सकता है। यह घटना स्पष्ट

रूप से इस सदन की गंभीर अवमानना है और यह सभा इस मुद्दे से संविधान और प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अनुसार निपटने की स्वतंत्र है। … (*व्यवधान*)

अन्य कानूनों के उल्लंघन की दृष्टिकोण से, उपयुक्त एजेंसियां देश के कानून के अनुसार इस घटना से संबंधी मुद्दों से निपटेंगी। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष पहले ही उच्च स्तरीय जांच के लिए गृह सचिव को पत्र लिख चुके हैं। जांच पहले ही शुरू हो चुकी है। … (*व्यवधान*)

(हिंदी)

सभापति जी, ऑलरेडी इन्क्वायरी शुरू हो चुकी है।… (व्यवधान) पहले भी जब ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, तो उस समय जो कुछ भी सिस्टम, इन्क्वायरी करने के लिए उस समय के स्पीकर्स ने जो कार्यवाही की थी, उसी तरह आज के वर्तमान स्पीकर भी बहुत संवेदनशील है।… (व्यवधान) माननीय स्पीकर ने आदेश दिया है और सरकार भी इसमें बहुत ही संवेदनशील है इसलिए मेरी अपेक्षा है और मैं इन लोगों से सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूं।… (व्यवधान) सब लोग चर्चा में भाग लेने के लिए बैठे हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।… (व्यवधान)

यह विनती करते हुए, मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं।

(अनुवाद)

मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है लेकिन हर मुद्दों का राजनीतिकरण करना कुछ सदस्यों की आदत बन गई है। मैं उनसे एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। … (*व्यवधान*)

महोदय, मैं इस सदन के समक्ष एक और संकल्प प्रस्तुत करना चाहता हूं। … (*व्यवधान*)

अपराह्न 2.08 बजे

नियम 374 के अधीन सदस्यों का सभा की सेवा से निलंबन के बारे में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी):महोदय, आपकी अनुमति से, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

"कि इस सभा ने श्री टी. एन. प्रथापन, श्री हैबी ईडन, सुश्री एस. जोतिमणि, कुमरी राम्या हरिदास और एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा सभा और अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374(2) के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा ने श्री टी. एन. प्रथापन, श्री हैबी ईडन, सुश्री एस. जोतिमणि, कुमरी राम्या हरिदास और एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा सभा और अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374(2) के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (*व्यवधान*)

(अनुवाद)

माननीय सभापति : सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

अपराह्न 2.09 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा अपराह्न तीन बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 3.01 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न तीन बजकर एक मिनट पर पुनः समवेत हुई।
(श्री भर्तृहरि महताब *पीठसीन हुए*)
… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 3.01½ बजे</u>

नियम 374 के अधीन सदस्यों का सभा की सेवा से निलंबन के बारे में प्रस्ताव- जारी

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा श्री वी. के. श्रीकंदन, श्री बेन्नी बेहनन, डॉ. मोहम्मद जावेद, श्री पी. आर. नटराजन, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्री के. सुब्बारायण, श्री एस. वेंकटेशन और श्री बी. मणिकम टैगोर द्वारा सभा और अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374(2) के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा श्री वी. के. श्रीकंदन, श्री बेन्नी बेहनन, डॉ. मोहम्मद जावेद, श्री पी. आर. नटराजन, श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्री के. सुब्बारायण, श्री एस. वेंकटेशन और श्री बी. मणिकम टैगोर द्वारा सभा और अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की घोर अवमानना किए जाने के कदाचार को गंभीरता से लेते हुए और अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर, यह संकल्प लेती है कि नियम 374(2) के अधीन उक्त सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अपराह्न 3.02 बजे</u>

इस समय, श्री एंटो एन्टोनी, श्री ए. राजा, श्री गिरिधारी यादव और और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>अपराह्न 3.03 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 15 दिसंबर, 2023 / 24 अग्रहायण, 1945 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2023 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित